न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 552/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1150/2026]

[CNR No. UPFZ010033912026]

1. अभयराज पुत्र खुशीराम,
2. विनोद कुमार पुत्र बेचूलाल,

निवासीगण ग्राम बबनियावां, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

---

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 552/2026, मुकदमा अपराध संख्या 195/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 109(1) भा०न्या०सं०, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्तगण के अनुसार उनका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उनकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं। प्रस्तुत मामले में उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उनके विरूद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। उनका कथित घटना से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में प्राणघातक चोट का कोई बिन्दु नहीं दर्शाया गया है। वे दिनांक 17.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। वे जमानत देने के लिये तैयार हैं। अतः उन्हें जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 16.05.2026 को स्वेब अपनी बहन को दवा करने के लिये ले जा रहा था। रास्ते में अभयराज निषाद ने मोटरसाइकिल खड़ी कर दिया था, जब हटाने को बोला तो गाली देने लगा। उसी समय अभयराज के बुलाने पर रबिन्स निषाद, ध्रुव निषाद, विनोद निषाद, अभयराज जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी, डण्डा से मारने लगे, जिससे मो० नियाज, इरफान, एखलाख, स्वेब, सबा बानो

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.03 17:44:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तथा नदीम गम्भीर रूप से घायल हो गये।

8. चोटहिल इरफान, एखलाक, मो० नियाज की आघात आख्या में चोटें साधारण प्रकृति की होना अंकित है। चोटहिल सबा की आघात आख्या में पेट में दर्द की शिकायत होना अंकित है। चोटहिल नदीम की आघात आख्या में मात्र 01 चोट आना अंकित है एवं चोटहिल मो० शोयेब की आघात आख्या में कुल 02 चोटें, जिसमें चोट संख्या 1 को छोड़कर अन्य चोट साधारण प्रकृति की होना अंकित है। केस डायरी के साथ कोई एक्स–रे रिपोर्ट/पूरक रिपोर्ट आदि उपलब्ध होना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। मामले में विवेचना प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 17.05.2026 से जेल में निरूद्ध हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 552/2026, मुकदमा अपराध संख्या 195/2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 109(1) भा०न्या०सं०, थाना रौनाही, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को उनके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000–50,000 (पचास–पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 03.06.2026